योजना के नियम एवं शर्ते

1. निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन वित्तीय सहायता (नियमित अनुदान) के लिए 100/- रूपये के शुल्क के साथ किया जाएगा।
2. वित्तीय सहायता (नियमित अनुदान) के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम, गौशाला अधिनियम, गोसेवा आयोग या किसी भी स्थानीय निकाय के साथ पंजीकृत समिति के रूप में पंजीकृत या किसी भी राज्य या केंद्रीय कानून के तहत पशु कल्याण कार्य करने वाले संगठन ही पात्र होंगे।
3. गैर-सरकारी संगठन जो निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैः
   (क) यह एक उपयुक्त अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय है।
   (ख) इसकी एक उपयुक्त प्रशासनिक संरचना और एक विधिवत गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति है।
   (ग) संगठन के कार्यकम के उद्देश्य एवं लक्ष्य ठीक से निर्धारित किये गए हैं।
   (घ) संगठन, इसके सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के शुरू एवं शासित किया जा रहा है।
   (ड) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को लाभ के लिए नही चलाया जायेगा और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवधिक रिपोर्ट और रिटर्न जमा कराने की सहमति देता है।
   (च) संबंधित संगठन तीन साल की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।
   (छ) संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों में पशु कल्याण गतिविधियों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
   (ज) संगठन भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और बिना किसी शिकायत/प्रतिकूल टिप्पणी के पशु कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय होना चाहिए।
4. आवर्ती और अनावर्ती व्यय पर अनुमोदित लागत के 100% के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
5. संगठन स्थानीय निकायों आदि से आवारा /बचाए गए /उपचारित /रोगग्रस्त /वृद्ध जानवरों को संगठन जगह और क्षमता की उपलब्धता के आधार पर स्वीकार करेगा।
6. संगठन अनुदान का उपयोग मिली हुई मंजूरी के अनुरूप करेगा।
7. बोर्ड से प्राप्त अनुदान का उपयोग स्वीकृत घटकों में अनुदान जारी होने की तिथि से पिछले दो वर्षो के दौरान किये गए व्यय में उपयोग कर सकती है अथवा अनुदान जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर उपयोग करे । आवेदन के समय एक घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि आवश्यक निधि अनुमोदित उद्देश्य हेतु ही उपयोग में ली जायेगी। निधि के व्यय के बाद संस्था बिलों की प्रतियों के साथ बोर्ड को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। संगठन द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा जिसे लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत अनुमोदिन कराकर प्रस्तुत किया जाये।
8. जहां तक निर्माण के उद्देश्य के अलावा अनुदान सहायता के संबंध में, मौजुदा और नई परियोजनाओं दोनों के लिए इस के तहत व्यय का प्रारूप व्यापक रूप से समान वस्तुओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित समान घटकों पर व्यय के प्रारूप अनुरूप होगा हालांकि, असाधारण मामलों में बोर्ड परामर्श से विचलन की अनुमति दी जा सकती है।
9. बजट की उपलब्धता के अनुसार अनुदान एक किस्त / एकाधिक किस्तों में दिया जाएगा। (जीव जंतु कल्याण संस्थान निर्धारित प्रारूप में एक वैध बंध-पत्र कार्यान्वित करेगा कि अनुदान कि किसी भी या सभी शर्तो का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में यह पूरे अनुदान या इसके ऐसे हिस्से को ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा जो भी सरकार निर्णय ले।
10. संस्था किसी भी मामले में एक स्वीकृत उप-शीर्ष में अधिकतम 50 प्रतिशत तक व्यय को फिर से विनियम कर सकती है। इस तरह के पुनः विनियमन कुल स्वीकृत राशि तक ही होगा। हालांकि, बोर्ड द्वारा स्वीकृत मदों पर बचत के पुनः विनियमन द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाएगा। बचत राशि को कर्मचारियों पर व्यय हेतु विनियमित नहीं किया जायेगा जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, बोर्ड को सभी स्वीकार्य विनियमन की सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह के पुनः विनियमन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
11. अनुमोदित परियोजना में, बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जायेगा, भले ही इसमें कोई अतिरिक्त लागत शामिल नहीं हो।
12. यदि बोर्ड परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है या यदि यह पाया जाता है कि इन नियमों का गंभीरता से उल्लघंन किया जा रहा है, तो यह अनुदान सहायता को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बोर्ड की अनुदान समिति की सिफारिशों पर अनुदान मंजूर किया जाएगा।
14. बोर्ड /सरकार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि सूचना के साथ या बिना सूचना के निगरानी हेतु संस्था के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है।